न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/347
मिसल नम्बर– 53 / 2025

1.रघुराज सिंह हाड़ा आत्मज स्व0 श्री रघुवीर सिंह हाड़ा उम्र 64 निवासी मकान नं0 2 सी 6 पावर हाउस के पास रंगबाड़ी योजना कोटा राज0

प्रार्थी।

बनाम

1.कृतिका राजावत पुत्री श्री जुगराज सिंह राजावत उम्र 30 वर्ष मो0 9079321362 निवासी विरेन नगर, ब्राईटसन स्कूल के पास, बाल मंदिर कॉलोनी सवाई माधोपुर राजस्थान हाल ए–301, जीवन आश्रय सोसायटी, सेक्टर–62 नोएडा उत्तर–प्रदेश
2.प्रतीक सिंह राजावत पुत्र श्री जुगराज सिंह राजावत उम्र 28 वर्ष विरेन नगर, ब्राईटसन स्कूल के पास, बाल मंदिर कॉलोनी सवाई माधोपुर राज0
3.हर्षित राजावत पुत्र श्री जुगराज सिंह राजावत उम्र 26 वर्ष मो0 7023416295 निवासी विरेन नगर, ब्राईटसन स्कूल के पास, बाल मंदिर कॉलोनी सवाई माधोपुर राजस्थान हाल ए–301, जीवन आश्रय सोसायटी, सेक्टर 62 नोएडा उत्तर–प्रदेश
4.मीनाक्षी राजावत पुत्री श्री जुगराज सिंह राजावत उम्र 32 वर्ष निवासीगण विरेन नगर, ब्राईटसन स्कूल के पास, बाल मंदिर कॉलोनी सवाई माधोपुर राज0 मो0 7014991002

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 25/7/25

उपस्थितिः–

1.श्री कुलदीप सिंह प्रार्थी अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकारं है कि प्रार्थी जो कि पूर्व में ए0एस0 आई0 इण्डस्ट्रीज लि0 में कार्यरत था, जहां सै वह सेवानिवृत हो चुका है और अपनी पत्नी के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने संपूर्ण जीवन की मेहनत की कमाई से अपने मकान नम्बर 2–सी–6 पावर हाउस के पास कोटा राजस्थान में निर्माण कार्य करवाया हुआ हैं एवं वरिष्ठ नागरिक के तौर पर प्रार्थी व उसकी पत्नी शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे है। प्रार्थी के पुत्र खुशवंत सिंह का विवाह दिनांक 29.01.2019 को प्रतिपक्षी क्रम 1 कृतिका राजावत के साथ सम्पन्न हुआ था। विवाह के कुछ समय पश्चात प्रार्थी के पुत्र व पुत्र वधु के मध्य आपसी मन–मुटाव व पारिवारिक विवाद होने लगे जिसके चलते दोनों ही ने अलग रहने का फैसला

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

किया। वर्ष 2023 से दोनों ही अलग–अलग निवास कर रहे है व खुशवंत वर्तमान में विश्वकर्मा नगर कोटा में निवास करता है तथा कृतिका नोएडा उत्तर–प्रदेश में निवास करती है। उन दोनों के मध्य आपसी पारिवारिक मुकदमें चल रहे है। कृतिका राजावत ने प्रार्थी व उसकी पत्नी के विरूद्ध भी झूठे व मिथ्या कथनों पर फौजदारी प्रकरण नोएडा उत्तर प्रदेश में दायर करवा दिये हैं। पिछले दो–ढाई माह से लगातार प्रतिपक्षी क्रम 1 व प्रतिपक्षी कम 2 लगायत 4 जो कि प्रतिपक्षी कम 1 के भाई–बहिन हैं लगातार मुझ प्रार्थी व मेरी पत्नी को मोबाईल फोन पर हमारे उपरोक्त वर्णित मकान को खाली करने की धमकी दे रहे हैं और उन्होने यह भी धमकी दी है कि वह दिनांक 02.07.2025 को भी कोटा आयेंगे और प्राथी के उपरोक्त वर्णित मकान पर कब्जा कर हमें बेदखल कर देगें और प्रतिपक्षी कम 4 द्वारा प्रार्थी को यह धमकी दी गई है कि वह प्रतिपक्षी कम 1 को उपरोक्त वर्णित मकान पर ही निवास करवायेगें और अब वह कोटा ही रहेगी। जबकि प्रार्थी के पुत्र व प्रतिपक्षी कम 1 के विरूद्ध पारिवारिक विवाद चल रहे है एवं प्रार्थी का पुत्र प्रार्थी के साथ निवास नहीं करता है। प्रार्थी अपनी व अपनी पत्नी की वृद्धावस्था में प्रतिपक्षी कम 1 जो जबरन प्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ उसके कोटा स्थित मकान पर जबरन रहना चाहती है को अपने साथ नहीं रखना चाहता है। क्योंकि प्रतिपक्षी कम 1 को प्रार्थी के मकान में जबरन रहने का व प्रवेश करने का भी कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। क्योंकि उपरोक्त वर्णित मकान प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है। प्रार्थी के अपने मकान में किसी रखे या ना रखे यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। उपरोक्त धमकी का मोबाईल में ऑडियो रिकॉर्ड प्रार्थी के पास उपलब्ध है। प्रार्थी व उसकी पत्नी जो वरिष्ठ नागरिक हैं और शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे है। प्रतिपक्षीगण की उपरोक्त धमकी से काफी परेशान है और उन्हें भय व्याप्त है कि दिनांक 02.07.2025 को प्रतिपक्षीगण उन्हें उनके घर से बेदखल कर सकते हैं और प्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ अन्य किसी भी घटना को अंजाम दे सकते है। प्रार्थी की जान व संम्पती का खतरा बना हुआ है। इस कारण न्यायहित में प्रतिपक्षीगण को प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित मकान नम्बर 2 सी 6 रंगबाड़ी योजना पावर हाउस के पास कोटा जिस पर वह अपनी पत्नी के साथ निवास कर रहा हैं उस मकान से बेदखल करने से उन्हें रोका जाना तथा प्रतिपक्षीगण को प्रार्थी के उपरोक्त वर्णित मकान पर आने से प्रवेश करने से रेस्ट्रेन किया जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध आदेश पारित किया जावे कि प्रतिपक्षीगण प्रार्थी की सम्पत्ति मकान नम्बर 2 सी 6 पावर हाउस के पास रंगवाड़ी योजना कोटा राजस्थान पर किसी प्रकार का कब्जा ना करे, ना ही मकान पर आकर कोई लड़ाई–झगड़ा व न्यूसेंस उत्पन्न करें एवं प्रतिपक्षी कम 1 किसी भी प्रकार से मकान में प्रवेश ना करें और मकान में आकर जबरन निवास करें। प्रार्थी की जान व माल की सुरक्षा प्रदान की जावें। ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करवाऐं अन्य न्यायोचित सहायता भी प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थिति होने के कारण अप्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात पत्रावली बहस अंतिम वास्ते नियत की गई।

दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी की पुत्रवधु कृतिका राजावत ने प्रार्थी व उसकी पत्नी के विरूद्ध भी झूठे व मिथ्या कथनों पर फौजदारी प्रकरण नोएडा उत्तर प्रदेश में दायर करवा दिये हैं। पिछले दो–ढाई माह से लगातार प्रतिपक्षी क्रम 1 व प्रतिपक्षी कम 2 लगायत 4 जो कि प्रतिपक्षी कम 1 के भाई–बहिन हैं लगातार मुझ प्रार्थी व मेरी पत्नी को मोबाईल फोन पर हमारे उपरोक्त वर्णित मकान को खाली करने की धमकी दे रहे हैं और उन्होने यह भी धमकी दी है कि वह दिनांक 02.07.2025 को भी कोटा आयेंगे और प्राथी के उपरोक्त वर्णित मकान पर कब्जा कर हमें बेदखल कर देगें और प्रतिपक्षी कम 4 द्वारा प्रार्थी को यह धमकी दी गई है कि वह प्रतिपक्षी कम 1 को उपरोक्त वर्णित मकान पर ही निवास करवायेगें और अब वह कोटा ही रहेगी। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही हुये है और ना ही प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों का खण्डन किया गया है। चूंकि अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी की कथनों का किसी प्रकार से कोई खण्डन नही किया है जिस कारण से प्रार्थी के द्वारा किये गये कथन अखण्डनीय रहे है एवं जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। अतः प्रार्थी द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति पेश की है जिसके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा किये गये कथन की पुष्टि होती है कि उपरोक्त मकान प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है। जिसमें प्रार्थी अपनी इच्छानुसार जिसे रखना चाहे, उसको रखने हेतु स्वतंत्र हैं। प्रार्थी के पुत्र एवं पुत्रवधु के मध्य मन मुटाव होने के करण आपसी पारिवारिक मुकदमे चल रहे है। जिस कारण से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को धमकी देकर प्रताडित किया जा रहा है। जिससे प्रार्थी त्रस्त है। जिस कारण से प्रार्थी को वृद्धावस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने से वंचित होना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम स्वीकार कर प्रतिपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वे प्रार्थी की सम्पत्ति मकान नम्बर 2 सी 6 पावर हाउस के पास रंगबाड़ी योजना कोटा राजस्थान पर किसी प्रकार का कब्जा ना करे, ना ही मकान पर आकर कोई लड़ाई–झगड़ा व न्यूसेंस उत्पन्न करें एवं प्रतिपक्षी कम 1 किसी भी प्रकार से मकान में प्रवेश ना करें और मकान में आकर जबरन निवास करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक ...25/7/25... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा